राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005

(दूरभाष नं0:–0141–2740837,, **फैक्स** 0141–2742309, **ई–मेलः**–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन /पार्ट–I/अलेसे–III/2052 **दिनांक :–** 11.01.2025

आदेश संख्या 204/2024–25

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा–2023 में सफल घोषित होने एवं बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंषा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन–भत्तों पर प्रोविजनल आधार पर नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे **कोषालय, जालोर** में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट कोषाधिकारी को प्रस्तुत करें। कोषाधिकारी नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों की कार्यग्रहण रिपोर्ट मय दस्तावेज 7 दिवस में इस विभाग को Email-jacct.dta@rajasthan.gov.in पर एवं विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित करेः–

क.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम/रोल नं.	जन्मतिथि	कोष कार्यालय का नाम	अभ्यर्थी का फोटो
1.	RAHUL KUMAR S/O GHANSHYAM 747650	03-10-1999	JALORE	
2.	PARASMAL S/O MADAN LAL 730191	27-07-1999	JALORE	
3.	POPAT LAL S/O HANSA RAM JI 735700	06-06-1993	JALORE	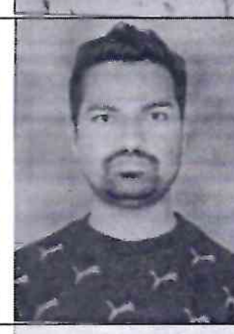
4.	ARUN KUMAR S/O CHHAGAN LAL 748006	04-12-1997	JALORE	
5.	CHHAIL SINGH S/O JOITA RAM 726784	16-03-1998	JALORE	

6.	SANJAY KUMAR S/O GOPA RAM 770626	09-08-1997	JALORE	
7.	MAHIPAL SINGH S/O BADARI DAN 743019	01-02-1998	JALORE	
8.	MAHENDRA KUMAR RAJPUROHIT S/O THANMAL JI RAJPUROHIT 725015	20-01-1998	JALORE	
9.	HARSAN S/O BAGA RAM 744729	03-12-1993	JALORE	
10.	DIKSHANT KUMAR SUKHADIYA S/O HARNARAYAN 758311	29-01-2001	JALORE	
11.	VIVEK SHANKHLA S/O CHAMPALAL SHANKHLA 758265	18-06-1992	JALORE	
12.	KARAN KUMAR S/O MISHRI MAL 768385	03-07-1997	JALORE	

13.	JITENDRA KUMAR S/O INDRA BHAN BHATI 760035	12-10-1994	JALORE	
14.	VIRENDRA KUMAR CHOUDHARY S/O NAGA RAM 749941	06-10-1993	JALORE	
15.	RAGHUVEER SINGH S/O NARAYAN DAN 741383	04-05-1996	JALORE	
16.	VIKRAM KUMAR S/O JAWA RAM 766315	25-10-1995	JALORE	
17.	RAJESH S/O RATAN LAL 761925	01-07-1991	JALORE	
18.	DAYA RAM CHOUDHARY S/O RAJENDRA CHOUDHARY 731361	14-04-1990	JALORE	
19.	ARUN KUMAR S/O FUTAR MAL 771174	05-10-1999	JALORE	

20.	DINESH S/O MAGA RAM 756573	10-05-2001	JALORE	
21.	JAGMAL S/O BHARU RAM 758881	05-07-1997	JALORE	
22.	SURESH KUMAR S/O KAN SINGH 745960	20-11-2000	JALORE	
23.	RANA RAM S/O JOMTA RAM 747068	15-11-2000	JALORE	
24.	PRAKASH GEHLOT S/O BABU LAL 748230	15-06-1999	JALORE	
25.	LAXMAN SINGH S/O SHYAM SINGH 751300	18-06-2001	JALORE	
26.	VERSEE RAM S/O KHEEMA RAM 751862	11-12-1998	JALORE	

27.	MUNIR KHAN S/O JABRU KHAN 740126	20-06-1998	JALORE	
28.	MAHENDRA KUMAR S/O MANGI LAL 746227	15-11-2001	JALORE	
29.	MAHENDRA KUMAR S/O PRABHU RAM 742578	10-08-1999	JALORE	
30.	MAHENDRA KUMAR S/O JAVA RAM 752118	10-07-1999	JALORE	
31.	LALIT CHOUDHARY S/O PADAMA RAM 759974	24-08-1998	JALORE	
32.	SANTOSH KANWAR D/O KHANGAR SINGH 754702	11-09-2000	JALORE	
33.	MAHENDRA KUMAR S/O RAM LAL MEENA 743672	15-08-1992	JALORE	

34.	SURESH KUMAR S/O VIRMA RAM 762955	24-07-2000	JALORE	
35.	GAUTTAM PANCHAL S/O JORA RAM PANCHAL 748504	10-09-1996	JALORE	
36.	KISHAN LAL JEENGAR S/O BHOMA RAM JEENGAR 729609	23-06-1996	JALORE	
37.	HINDU SINGH S/O NEN SINGH 769299	07-03-2002	JALORE	
38.	AKASH DEVASI S/O MADHO RAM 743398	06-09-1993	JALORE	
39.	RAJU KUMAR S/O RAM LAL 739626	27-10-2000	JALORE	
40.	VIKASH KUMAR S/O HEMRAJ 760207	03-06-2002	JALORE	

41.	DHANRAJ PATEL S/O BHOMA RAM 731530	02-04-1997	JALORE	
42.	RAM NARAYAN S/O GOPI CHAND 764321	05-03-1996	JALORE	
43.	KAMLESH KUMAR S/O MANGI LAL 768503	11-01-1994	JALORE	
44.	MAHENDRA S/O JAGDISH 735718	12-08-1997	JALORE	
45.	RAM SINGH S/O CHANDAN SINGH 756962	05-08-1992	JALORE	
46.	NARASI RAM S/O REKHA RAM 736919	08-04-2001	JALORE	
47.	MOHAN LAL S/O DHURA RAM 757563	03-10-1997	JALORE	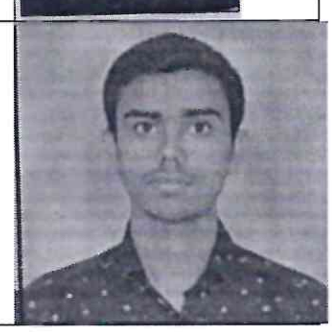

48.	MAHENDRA BISHNOI S/O VRADHI CHAND 767119	14-10-1995	JALORE	
49.	VIKAS S/O JAGADISH MALI 757299	17-11-1997	JALORE	
50.	SUNIL KUMAR S/O SURESH KUMAR 727887	23-08-2001	JALORE	
51.	VIKRAM CHOUDHARY S/O MANGI LAL CHOUDHARY 751148	15-01-1997	JALORE	
52.	RAMESH KUMAR S/O ASHOK KUMAR 743337	15-08-2001	JALORE	
53.	SHRAVAN KUMAR S/O HEMRAJ 731645	10-12-2000	JALORE	
54.	PRAKASH S/O DERA RAM 753845	08-10-2000	JALORE	

55.	PRAVEEN SARAN S/O GHAMA RAM 743416	15-04-2000	JALORE	
56.	BHARAT KUMAR S/O DHUDA RAM 766722	04-09-1991	JALORE	
57.	HAPOO RAM S/O CHOKHA RAM PAWAR 768735	17-08-1991	JALORE	
58.	MAHIPAL SINGH S/O JASWANT SINGH 770824	06-08-1994	JALORE	
59.	JAGDISH S/O RAJU RAM 728125	05-03-1998	JALORE	
60.	PRAKASH KUMAR S/O MOHAN LAL 738340	11-09-1995	JALORE	
61.	SURESH KUMAR S/O GANESHA RAM 732967	20-07-1998	JALORE	

62.	RATAN KHILERI S/O ASU RAM 754191	20-06-2001	JALORE	
63.	PRAVIN KUMAR S/O LAXMANA RAM 726671	05-09-1999	JALORE	
64.	SURESH KAMAL S/O HARI RAM 739836	02-08-1999	JALORE	
65.	KAILASH KUMAR S/O CHAUTHA RAM 766327	28-02-2000	JALORE	
66.	VIKRAM KUMAR S/O MASARA RAM 740928	12-07-2000	JALORE	
67.	RAMESH KUMAR S/O JAYRUPA RAM 749989	10-02-2001	JALORE	
68.	VAJA RAM S/O SARDARA RAM 729473	15-07-1994	JALORE	

69.	MADAN KUMAR S/O VAGA RAM 739722	12-12-1999	JALORE	
70.	VELA RAM S/O BHAVA RAM 761468	28-05-1997	JALORE	
71.	YOGESH KUMAR S/O GANPAT LAL 765630	21-10-2001	JALORE	
72.	SANGEETA SHARMA D/O OM PRAKASH SHARMA 743498	05-10-1993	JALORE	
73.	DALPAT KUMAR S/O PADMA RAM 752569	11-04-1994	JALORE	
74.	LAXMAN KUMAR S/O VENA RAM 751603	20-10-2000	JALORE	
75.	MITTAL PRAJAPAT D/O PRAVIN KUMAR PRAJAPAT 738475	04-01-2002	JALORE	

76.	BHAGIRATH RAM S/O RAM KISHAN 727180	23-05-1992	JALORE	
77.	GEETA PANCHAL D/O UKA RAM 728711	01-01-1999	JALORE	

उपरोक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन दी जाती है :—

1. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15 (1) एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस०एल०पी० 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। राज्य सेवा मे कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
2. राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देश/आदेश लागू होंगे। **यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।**
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा/सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
4. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रुप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पे मेट्रिक्स लेवल—10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नही होगें।
5. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
6. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम—10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय कोषाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के समय निम्नलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही उनकी उपस्थिति स्वीकार्य होगी:—
   1. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र 2. दहेज संबंधी शपथ पत्र 3. धूम्रपान/मद्यपान संबंधी शपथ पत्र 4. चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र—ए(उक्त 4 शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई—स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
   5. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों (संलग्न) में भरकर संबंधित कोषालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नही करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती हैं। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुतीर्ण होने पर इन्हे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग—I में आने वाले मामलो को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।
10. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

11. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 12726/2024 विक्रम वर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 09.12.2024 को जारी आदेश के क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

12. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 202/2025 विनोद पाटीदार व अन्य, 278/2025 मोहित सोनी व अन्य एवं 347/2025 धर्मेन्द्र सिंह शेषमा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

13. उपरोक्त अभ्यर्थी उक्त आदेश की पालना में संबंधित कोषालय में आदेश जारी किए जाने के 15 कार्य दिवस में कार्यग्रहण नही करतें है और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्नः– शपथ–पत्रों के प्रारूप

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/पार्ट–I/अलेसे–III/2052 **दिनांक :–** 11.01.2025

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. वरिष्ठ सयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी (विधि) कार्यालय हाजा।
6. कोषाधिकारी...को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर उक्त दस्तावेजों सहित जरिये विशेष वाहक कार्यग्रहण रिपोर्ट (सूची सहित) 07 कार्य दिवस में निदेशालय को प्रेषित करावेः–
   1. जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
   2. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र
   3. दहेज संबंधी शपथ पत्र
   4. धूम्रपान/मद्यपान संबंधी शपथ पत्र
   5. चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र–ए में शपथ पत्र
   6. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों में

   (उक्त कम संख्या 2 से 5 तक के शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई–स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय ।
9. उपनिदेशक (एसीपी), कोष एवं लेखा, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस (COINS) में रिकार्ड के संधारण हेतु।
10. संबंधित अभ्यर्थियों श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री..को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कोष कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना शीघ्र प्रेषित करावें।
11. रक्षित/निजी पत्रावली ।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)